

की ओर से रकबाती जबाब पेश हो चुका है। अतः लोड अफालत की भाषना से कपीगन का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्ली करमाया जावे। वकील कपीगन के निवेदन पर त्रिविकी सं० 2 भूमिदारी तहसीलदार वल्लेवा से चेई आपत्ति जाहिर मही की।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट, पेकडुदा राजीनामा व रकबाती जबाब का अवलोकन किया गया जिन्हे अफालत से एवं लोड अफालत की भाषना से कपीगन का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर वरुदा राजीनामा डिक्ली किया जाया है तथा घोषणा की जाती है कि:-


आदेश

राजान् ग्राम फतेहपुरा भूमिमान अवधि कृषि भूमि सं० नं० 322 रकबा 1.95 है सम्पूर्ण का अडेले वारी सं० 2 ता 4 के तथा सं० नं० 45, 43, 44, 69 रकबा 3.77 है। 1/8 भाग का मूल्य सुन्दरी के न्यान पर सं० 2 ता 4 के तथा राजान् ग्राम वल्लेवा के कृषि भूमि सं० नं० 2822/1, 2822/2, 3040, 3042, 3043 रकबा 4.42 है। 1/8 भाग का मूल्य सुन्दरी के न्यान पर वारी सं० 1 अडेले के तथा सं० नं० 2785, 2827 रकबा 3.56 है सम्पूर्ण के 221/356 भाग का वारी सं० 1 के तथा 135/356 भाग का त्रिविकी सं० 1 के खारेफार का तकार घोषित किया जाया है तथा उक्त खारेफा नम्बरान से मूल्य सुन्दरी, धासी व वीरू का नाम राजान् रिपोर्ट से हजुड किया जाया है। उक्तानुसार राजान्

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

ट्रिब्यूनल में अग्रत दरअग्रत हो. तथा तदनुसार
पत्रा डिट्टी मुतीव हो। पत्रावली उमर अग्रत
उमर नम्बर से कम हो तथा गड तदुत्तर
दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक
01-05-2018 को मजसे आम हुनाया गया।


01/05/18

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

① बंशीधर ✕ उनवान ① रामचन्द्र ✕ बनाम

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निवेद्याज्ञा व रिफॉर्मुल्टी


मुकदमा नम्बर :- 59/2017

निर्णय दिनांक :- 01-05-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS
व हाजिरी मिनजानिव मुददई रुबरु श्री बनवारी लाल जांघू ए
..... मिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

राजान ग्राम फतेहपुर प्रोत्रियान अक्वियन रुडि अमि कानं 322
रुबवा 1.35 है सम्पूर्ण का अडले वादी सं 2 ता प से त्वा कानं 145,
43, 44, 63 रुबवा 3.77 है के 1/8 भाग का मूठ कुन्दरी के स्थान
पर वादी सं 2 ता प के त्वा राजान ग्राम खडिला अक्वियन रुडि अमि
कानं 2828/1, 2828/2, 3040, 3042, 3043 रुबवा 4.42 है के 1/8
भाग का मूठ कुन्दरी के स्थान पर वादी सं 1 अडले के त्वा कानं
3185-3821 रुबवा 3.56 है सम्पूर्ण के 221/356 भाग का वादी सं 1 के त्वा
खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

✳ पुत्र बोराम

② सुवाउकी पत्नी शोपाल

③ शंकर ④ भद्रेश पुत्रगण शोपाल

समान्त जाति अहिर निःकतेहपुरा भोमिमान तहसील जवेल
जिला बीडर (राज)

- (वादीगण)

बनाम

✳ पुत्र बोराम जाति अहिर निःकतेहपुरा भोमिमान
तहसील जवेल जिला बीडर (राज)

② भूमिधारी तहसीलदार जवेल

③ सुवाउकी ④ प्रकाशी उकी ⑤ मोरुउकी-पुत्रिया बोरु

⑥ संतोष देकी ⑦ सुमिया उकी पुत्रिया शोपाल

जाति अहिर निःकतेहपुरा भोमिमान तहसील जवेल
जिला बीडर (राज)

- (प्रतिवादीगण)

✳

✳ तथा 135/356 भाग का प्रतिकारी सि.को कारेकर
कारेकर चोखिन चिया जाग है तल उक्त जगल
नम्बरान से मृतक सुन्दरी, धामी व बोरु का भाग
वैजह्व रिपोर्ट से हजफ चिया जाग है। उक्तपुत्र
राजस रिपोर्ट के असल परामद हो।

6/5/2018